"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती टुकेश्वरी साहू पति श्री श्यामलाल साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी-ग्राम-बोईरडीह, पोस्ट-शिकारी महका, तहसील छुरिया, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम टुकेश्वरी साहू दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती मोनिषा साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे से श्रीमती मोनिषा साहू पति श्री श्यामलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती टुकेश्वरी साहू पति-श्री श्यामलाल साहू निवासी-ग्राम-बोईरडीह पोस्ट-शिकारी महका तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	श्रीमती मोनिषा साहू पति-श्री श्यामलाल साहू निवासी-ग्राम-बोईरडीह पोस्ट-शिकारी महका तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मायाराम राठिया आत्मज स्व. प्रेमसिंह राठिया, उम्र 47 वर्ष, निवासी-सेक्टर-6, सड़क नं.-41, क्वार्टर नं. 2-जी, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री का नाम जन्म प्रमाण-पत्र में नंदिनी सिंह राठिया तथा स्कूल रिकार्ड में नंदिनी राठिया दर्ज है. मेरे बी. एस. पी. सर्विस रिकार्ड में उसका नाम नंदिनी सिंह राठिया दर्ज है. मैं अपनी पुत्री के नाम को परिवर्तित कर उसका नया नाम नंदिनी राठिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरी पुत्री को नंदिनी राठिया पिता श्री मायाराम राठिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावें.

पुराना नाम	नया नाम
नंदिनी सिंह राठिया पिता-श्री मायाराम राठिया निवासी-क्वार्टर नं. 2-जी सड़क नं.-41 सेक्टर 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	नंदिनी राठिया पिता-श्री मायाराम राठिया निवासी-क्वार्टर नं. 2-जी सड़क नं.-41 सेक्टर 6, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रिचर्ड अतित पिता स्व. अमृत सेमसन, उम्र 43 वर्ष, निवासी-एल. जी.-13, पदुमनगर, भिलाई-3, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम आर्यव सेमसन पिता रिचर्ड अतित दर्ज है तथा उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में उसका नाम अनुराग पॉल सेमसन अंकित है. यह कि मैं अपने पुत्र "आर्यव सेमसन" के नाम को परिवर्तित कर उसका नया नाम "अनुराग पॉल सेमसन" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मेरे पुत्र को अनुराग पॉल सेमसन पिता रिचर्ड अतित के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
आर्यव सेमसन पिता-श्री रिचर्ड अतित निवासी-एल. जी.-13 पदुमनगर, भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अनुराग पॉल सेमसन (ANURAG PAUL SAMSON) पिता-श्री रिचर्ड अतित निवासी-एल. जी.-13 पदुमनगर, भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चतर सिंह चौहान आत्मज श्री श्यामसिंह चौहान, उम्र 29 वर्ष, स्थायी निवासी-ग्राम-मोरछा, पोस्ट-पिंगवा, तहसील-ट्युनी, जिला-देहरादून (उत्तराखण्ड) हाल मुकाम सी आई एस एफ-110200952, रैंक सब इंस्पेक्टर, यूनिट सी आई एस एफ, तीसरी बटालियन आर. बी. भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पूर्व नाम चतर सिंह के आगे उपनाम चौहान जोड़कर अपना नया नाम चतर सिंह चौहान रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे चतर सिंह चौहान आत्मज श्री श्यामसिंह चौहान के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
चतर सिंह आत्मज-श्री श्यामसिंह चौहान निवासी-सीआईएसएफ 110200952 रैंक सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ, 3री बटालियन आर. बी. , भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	चतर सिंह चौहान आत्मज-श्री श्यामसिंह चौहान निवासी-सीआईएसएफ 110200952 रैंक सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ, 3री बटालियन आर. बी. , भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रेम किशन भारती आत्मज श्री तेज प्रकाश भारती, उम्र 24 वर्ष, जाति-तेली, निवासी-क्रांति किराना स्टोर्स के पास, केम्प-2, गांधी चौक वार्ड 23 भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम स्कूल एवं कालेज रिकार्ड में प्रेम किशन भारती पिता श्री तेज प्रकाश भारती दर्ज है. मैं अपने उपनाम (सरनेम) भारती को परिवर्तित कर प्रेम किशन साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे प्रेम किशन साहू आत्मज श्री तेज प्रकाश साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
प्रेम किशन भारती आत्मज-श्री तेज प्रकाश भारती निवासी-क्रांति किराना स्टोर्स के पास केम्प-2, गांधी चौक वार्ड 23 मकान क्र. 1448, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	प्रेम किशन साहू आत्मज-श्री तेज प्रकाश साहू निवासी-क्रांति किराना स्टोर्स के पास केम्प-2, गांधी चौक वार्ड 23 मकान क्र. 1448, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

फार्म-4
(नियम देखिये)

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1)]

क्रमांक/647/लो. न्या./अ. वि. अ./वा-1.—आवेदक श्री नरेश कुमार गुप्ता ट्रस्टी LIVING WITH CARE TRUST बिलासपुर पता, राजकिशोर नगर, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर ने LIVING WITH CARE TRUST को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	LIVING WITH CARE TRUST राजकिशोर नगर, बिलासपुर तहसील व जिला बिलासुपर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	रिक्त
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम-लगरा, प. ह. नं. 18, तहसील व जिला बिलासपुर स्थित भूमि, ख. नं. 213, रकबा 0.39 एकड़.

संजय कन्नौजे,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, आरंग-अभनपुर मुख्यालय जिला कार्यालय रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2013

क्रमांक/क/वा-4/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सर्वोत्तम दास गुरु स्वरूप दास, कार्यकारी न्यासी कबीर सेवा आश्रम, ग्राम गुदगुदा, तहसील आरंग, जिला रायपुर ने सर्वोत्तम दास गुरु स्वरूप दास अध्यक्ष सर्वराकार निवासी कबीर संस्थान, देवेन्द्र नगर, सेक्टर-04, पण्डरीतराई, तहसील रायपुर छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	कबीर सेवा आश्रम, ग्राम गुदगुदा (गुल्लु) तहसील आरंग, जिला रायपुर छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	कुल भूमि :- 16 एकड़ अनुमानित मूल्य 38 लाख रु. वार्षिक आय :- 60 हजार रु. खसरा नं. 22 में रकबा 0.120 हे. में 2000 वर्ग फुट में पक्का भवन बना है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 1-9-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 1-8-2013 को जारी.

आरती वासनिक,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 2 जुलाई 2013

प्रारूप

[देखें नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग, जिला-दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/2014/प्र. 2/अ. वि. अ./2013.—यत: कि श्री मनीष पारख, निवासी 36 महावीर कालोनी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग द्वारा श्री समरथ जैन नवयुवक मण्डल दुर्ग-ओखंराज हेमराज जैन, सदर बाजार दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 05-08-2013 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री समरथ जैन नवयुवक मण्डल दुर्ग ओखराज हेमराज जैन, सदरबाजार दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	11000.00 नगद (30-6-2013 की स्थिति में)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मुहर

दुर्ग, दिनांक-2-7-2013

संजय कुमार दीवान,

अनुभिागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा (छ. ग.)

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/417.— जय चंडी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित कुसमी, पंजीयन क्रमांक 1891 विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा सस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अतः समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जय चंडी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, कुसमी, पंजीयन क्रमांक 1891 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. के. तेकाम पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को जय चंडी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, कुसमी, पंजीयन क्र. 1891 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/418.— प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 2145 विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. सन् 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्राथ. सह. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा , पंजीयन क्रमांक 2145 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. के. तेकाम पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को प्राथ. सह. उप. भंडार सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, पंजीयन क्र. 2145 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/419.— मछुआ मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित दाढ़ी, पंजीयन क्रमांक 2343 विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मछुआ मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित दाढ़ी, पंजीयन क्रमांक 2343 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. के. तेकाम पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को मछुआ मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, दाढ़ी, पंजीयन क्र. 2343 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/420.— एस. पी. प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 148 विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एस. पी. प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा पंजीयन क्रमांक 148 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. के. तेकाम पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को एस. पी. प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, पंजीयन क्र. 148 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/421.— नवजीवन खदान सहकारी समिति मर्यादित पेंड्री, पंजीयन क्रमांक 2543 विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवजीवन खदान सहकारी समिति मर्यादित, पेंड्री, पंजीयन क्रमांक 2543 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. के. तेकाम पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को नवजीवन खदान सहकारी समिति मर्यादित, पेंड्री, पंजीयन क्र. 2543 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/422.— मछुआ सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 1837 विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 1837 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. के. तेकाम पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, पंजीयन क्र. 1837 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/423.— ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 2561 विकासखंड बेमेतरा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, पंजीयन क्रमांक 2561 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री एम. के. तेकाम पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेमेतरा को ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, बेमेतरा, पंजीयन क्र. 2561 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/424.— बजरंग फलफूल सहकारी समिति मर्यादित नवकेशा, पंजीयन क्रमांक 143 विकासखंड साजा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बजरंग फलफूल सहकारी समिति मर्यादित, नवकेशा, पंजीयन क्रमांक 143 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री नीरज खत्री पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, साजा को बजरंग फलफूल सहकारी समिति मर्यादित, नवकेशा, पंजीयन क्र. 143 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/425.— पुष्पलता फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित बेलगांव, पंजीयन क्रमांक 146 विकासखंड साजा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुष्पलता फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित बेलगांव, पंजीयन क्रमांक 146 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री नीरज खत्री पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, साजा को पुष्पलता फलोद्यान सहकारी समिति मर्यादित, बेलगांव, पंजीयन क्र. 146 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/426.— संगम महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित गुधेली, पंजीयन क्रमांक 2824 विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संगम महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, गुधेली, पंजीयन क्रमांक 2824 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को संगम महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, गुधेली, पंजीयन क्र. 2824 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/427.— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पाहंदा, पंजीयन क्रमांक 2274 विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जांना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित पाहंदा, पंजीयन क्रमांक 2274 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बेरला, पंजीयन क्र. 2274 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/428.— छ. ग. खदान सहकारी समिति मर्यादित कंडरका, पंजीयन क्रमांक 2580 विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ. ग. खदान सहकारी समिति मर्यादित, कंडरका, पंजीयन क्रमांक 2580 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को छ. ग. खदान सहकारी समिति मर्यादित, कंडरका, पंजीयन क्र. 2580 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/429.— शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित कंडरका, पंजीयन क्रमांक 2599 विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षो में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षो में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शिक्षित बेरोजगार सहकारी समिति मर्यादित, कंडरका, पंजीयन क्रमांक 2599 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को शिक्षित बेरोज़गार सहकारी समिति मर्यादित, कंडरका, पंजीयन क्र. 2599 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/430.— रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित बसनी, पंजीयन क्रमांक 2631 विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, बसनी, पंजीयन क्रमांक 2631 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को रेत खदान सहकारी समिति मर्यादित, बसनी, पंजीयन क्र. 2631 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/431.— ईंधन मिट्टी तेल हाकर्स सहकारी समिति मर्यादित बेरला, पंजीयन क्रमांक 2815 विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए ईंधन मिट्टी तेल हाकर्स सहकारी समिति मर्यादित, बेरला, पंजीयन क्रमांक 2815 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को ईंधन मिट्टी तेल हाकर्स सहकारी समिति मर्यादित, बेरला, पंजीयन क्र. 2815 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/432.— आदिवासी श्रमिक खनिज सहकारी समिति मर्यादित सोंढ़, पंजीयन क्रमांक 2360 विकासखंड बेरला, जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदिवासी श्रमिक खनिज सहकारी समिति मर्यादित, सोंढ़ पंजीयन क्रमांक 2360 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को आदिवासी श्रमिक खनिज सहकारी समिति मर्यादित, सोंढ़, पंजीयन क्र. 2360 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/433.— मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित मेहना, पंजीयन क्रमांक 2578, विकासखंड नवागढ़, जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित मेहना, पंजीयन क्रमांक 2578 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. ए. अंसारी पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, नवागढ़ को मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, मेहना, पंजीयन क्र. 2578 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंबे/परि./2013/434.-- पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित सहसपुर, पंजीयन क्रमांक 2240 विकासखंड साजा जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित सहसपुर, पंजीयन क्रमांक 2240 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री नीरज खत्री पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, साजा को पत्थर खदान सहकारी समिति मर्यादित, सहसपुर, पंजीयन क्र. 2240 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

एस. के. तिग्गा,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.



